<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर</u>

सत्र वाद संख्या 503 / 2000
देसरी थाना कांड संख्या 81 / 1996

दिनांक 10.06.2025

एक मात्र अभियुक्त रामसरिख राय की ओर से दाखिल प्रतिनिधित्व का आवेदन को आज भर के लिए स्वीकृत किया गया। अभिलेख अवलोकन से यह विदित है कि आदेश दिनांक 05.04.2025, 05.05.2025 एवं 29.05.2025 में स्पष्ट रूप से अभियोजन को आगाह किया गया था कि वह वर्ष 1996 ई0 के कांड संख्या और वर्ष 2000 ई0 के सत्र वाद के संबंध में उचित कार्रवाई करे और साक्षी प्रस्तुत करे। किन्तु इस संबंध में अपर लोक अभियोजक को अभिलेख सीन कराने और बार बार अधीक्षक पी0एम0सी0एच0 पटना, पुलिस अधीक्षक पटना एवं वैशाली को सूचित करने तथा सरकारी साक्षियों पर जमानतीय वारंट निर्गत करने के वाबजूद उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे कि स्पष्ट होता है कि अभियोजन को साक्षी प्रस्तुत करने में कोई रूची नहीं है। **अतः पुनः एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि वह सिविल सर्जन पटना एवं अधीक्षक पी0एम0सी0एच0 पटना के माध्यम से डॉक्टर बी0डी0 प्रसाद पर जमानतीय वारंट और अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक के0के0 सिंह तत्कालीन प्रभारी चांदपुरा ओ0पी0 देसरी थाना के विरूद्ध जमानतीय वारंट निर्गत करें।** यदि उपरोक्त साक्षियों को दिनांक 21.06.2025 को प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तो अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया जायेगा और **अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि को सदेह उपस्थित रहेंगे** ताकि अभियोजन साक्ष्य बंद होने की स्थिति में उनका परीक्षण न्यायालय द्वारा किया जा सके। **इस आदेश की प्रति पुनः संबंधित सभी प्राधिकारों तथा सिविल सर्जन पटना को कार्यालय तत्काल आज की प्रेषित करें।**

दिनांक 21.06.2025 को साक्ष्य हेतु।

लेखापित
(गौरव कमल)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय